



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-379/2026/1131/22-2-2025-17(923)/2025
लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रामप्यारे वर्मा (बन्दी सं0-32/2024) पुत्र श्री बालादीन वर्मा, जो रामपुर गौरी, थाना-को0नगर, जनपद-प्रतापगढ़ का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-367/2011 में भा0द0वि0 की धारा-323/149, 302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01 प्रतापगढ़ के दण्डादेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2024 तक अपरिहार 01 वर्ष, 03 माह, 20 दिन तथा 01 वर्ष, 04 माह, 14 दि न की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-379/2026/1131(1)/22-2-2025 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
- 3- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।